

-:आदेश:-

10.12.2024

अभिलेख उपस्थापित।

राष्ट्रीय खाद्य आयोग पोर्टल https://jharkhandsfc.in/admin/dashboard/dashboard_dgro.php पर शिकायतकर्ता अरविन्द कुमार, ग्राम-विन्ड मुहल्ला, पो०-चतरा, थाना-सदर, जिला-चतरा द्वारा राशन नहीं मिलने के संबंध में शिकायत दर्ज की गयी है। प्राप्त शिकायत के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा से प्रतिवेदन की मांग की गई। तदनुसार प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा के पत्रांक-41, दिनांक-05.12.2024 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा के पत्रांक-994/आ०, दिनांक-05.12.2024 द्वारा जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जिसमें उल्लेखित किया गया है कि-प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा के द्वारा शिकायतकर्ता अरविन्द कुमार से पूछा गया कि आपको राशन कौन जनवितरण दुकानदार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है तो उनके द्वारा बताया गया कि मुझे राशन मिलने लगा है।

अतः प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार शिकायतकर्ता को राशन प्राप्त होने का प्रतिवेदित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में शिकायतकर्ता को सूचित करें। अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

अपर समाहर्ता,
-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
चतरा।अपर समाहर्ता,
-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
चतरा।